

यू.पी. पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

एन.टी.पी.सी. लिमिटेड एवं अन्य

(2006 की सिविल अपील संख्या 4117)

सितम्बर 18, 2013

टी.एस. ठाकुर और विक्रमजीत सेन, जे.जे.,

केंद्रीय विद्युत नियामक टोरी आयोग (शुल्क के निर्धारण के लिए

नियम और शर्तें) विनियम, 2001:

विनियम 2.5 के साथ विनियम 1.9 पढ़ा जाए - थर्मल पावर स्टेशन का अधिग्रहण - अतिरिक्त व्यय - शुल्क का निर्धारण - प्रासंगिक अवधि 01.04.2001 से 31.03.2004 आयोजित आधार शुल्क के निर्धारण के लिए परियोजना के पूरा होने पर किया गया वास्तविक पूंजी व्यय होना चाहिए - लेकिन जहां वास्तविक व्यय अनुमोदित व्यय से अधिक है, वहां किए गए अतिरिक्त खर्च को उस सीमा तक ध्यान में रखा जा सकता है, जिस सीमा तक इसकी अनुमति दी गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या उद्देश्य के लिए नामित एक उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसी - इसका तात्पर्य यह है कि टैरिफ के निर्धारण के लिए इनपुट गठित करने से पहले अतिरिक्त व्यय को सीईए या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा -

अतिरिक्त की जांच होगी इसमें मुख्य रूप से दो अलग-अलग पहलुओं की जांच शामिल है (अ) क्या अतिरिक्त व्यय वास्तव में किया गया है या उत्पादन कंपनी द्वारा किया गया दिखावा या अतिशयोक्ति है और (ब) क्या व्यय प्रकृति में पूंजीगत था - तत्काल मामले में, सीईआरसी ने विवेकपूर्ण जांच के आधार पर प्रतिवादी-एनटीपीसी द्वारा दावा किए गए अतिरिक्त के एक बड़े हिस्से को अस्वीकार कर दिया था और अपीलकर्ता-निगम द्वारा स्वीकृत दावे को स्वीकार कर लिया गया था। वास्तव में परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिवादी द्वारा खर्च किया गया है।

विनियमन 2.5 - शुल्क का निर्धारण - सी.ई.ए या 805 का संदर्भ

स्वतंत्र एजेंसी - माना गयारू तत्काल मामले में, अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए प्रार्थना प्रतिवादी-निगम द्वारा की गई थी और बिजली अधिनियम 2003 लागू होने के बाद सी.ई.आर.सी द्वारा विचार किया गया था, पहले के अधिनियमों को निरस्त करते हुए - नए कानून ने सी.ई.ए के लिए कोई भूमिका निर्धारित नहीं की थी, के मामले में उत्पादन कंपनियों के लिए योजनाओं की मंजूरी या ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय - सीईआरसी का यह मानना सही था कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास किए गए अतिरिक्त व्यय के पूंजीकरण के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन के मामले में कोई भूमिका नहीं है। परियोजना -हालाँकि, तथ्यों के आधार पर, चूंकि वास्तविक व्यय का मुद्दा अपीलकर्ता की स्वीकृति से समाप्त हो

गया था, और व्यय की प्रकृति से संबंधित किसी भी प्रश्न के अभाव में, सीईए के संदर्भ की अनुपस्थिति के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि न्याय का गर्भपात अपीलकर्ता ने या सीईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण को खराब किया।

विद्युत अधिनियम, 2003 रू

एस 70 और 73 एस के साथ पढ़ें। 61 प्रावधान, और 2001 के विनियमों का विनियमन 2.5 - शुल्क का निर्धारण - पूंजीगत व्यय - अतिरिक्त व्यय - निर्धारण - सीईए का संदर्भ - माना गया रू 2003 अधिनियम के अधिनियमन के साथ कानूनी ढांचे में आए दूरगामी परिवर्तन, किए गए विनियमन 2.5 अब तक निरर्थक है क्योंकि इसमें के अतिरिक्त पूंजीकरण के अनुमोदन के लिए सीईए या एक स्वतंत्र एजेंसी के संदर्भ की परिकल्पना की गई है - कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव के बावजूद, इस तरह के अनुमोदन के लिए सीईए के संदर्भ पर जोर देना अनावश्यक होगा। साथ ही नए कानून की भावना का विरोध किया जिसने सीईए की भूमिका को एस में निर्दिष्ट तक कम कर दिया।

73. प्रतिवादी-राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने तत्कालीन यू.पी. से संबंधित थर्मल पावर स्टेशन का अधिग्रहण कर लिया। राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दिनांक 13.02.1992 को 927.85 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना लागत पर। शुल्क अवधि 01.04.2001 से 31.03.2004 के लिए

टैरिफ के अनुमोदन के लिए एनटीपीसी द्वारा दायर एक याचिका पर यू.पी. पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड व 807 अन्य विचाराधीन उत्पादन संयंत्र, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 24.10.2023 के एक आदेश द्वारा 01.04.2001 को 940.70 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत को ध्यान में रखते हुए टैरिफ को मंजूरी दे दी, लेकिन दावा किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार नहीं किया। प्रतिवादी चूंकि यह केवल एक पर आधारित था अनुमानित पूंजीगत व्यय और लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित नहीं था। इसके बाद प्रतिवादी-एनटीपीसी ने सीईआरसी के समक्ष एक याचिका दायर कर उत्पादन के संबंध में संशोधित निर्धारित शुल्क की मंजूरी मांगी उक्त अवधि के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक टैरिफ अवधि के लिए संयंत्र, जिसका अनुमान 6.101 करोड़ रुपये था। सीईआरसी ने पूंजीगत व्यय के लिए 4.521 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी देते हुए उक्त याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन यह मानते हुए कि प्रतिवादी संबंधित अवधि के दौरान शुल्क डी संशोधन का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, इसने प्रतिवादी-एनटीपीसी को 2004-2009 की अवधि के लिए शुल्क के साथ देय उक्त राशि पर इक्विटी और ऋण पर ब्याज पर रिटर्न का हकदार माना। सीईआरसी और दोनों अपीलीय न्यायाधिकरण ने ई की दलील खारिज कर दी। अपीलकर्ता-निगम का कहना है कि प्रतिवादी-एनटीपीसी द्वारा किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को एफ के विनियमन

2.5 के तहत आवश्यक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अनुमोदित किए बिना टैरिफ निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। सीईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2001। व्यथित होकर, यू.पी. पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपील दायर की।

न्यायालय के समक्ष विचार हेतु प्रश्न थेरू (1) प्सीईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2001 के विनियमन जी 2.5 का वास्तविक दायरा और दायरा क्या हैष्य और (2) ष्क्या सीईआरसी अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति दे सकता था जिसे संबंधित प्राधिकरण यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

आयोजितरू 1.1 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के विनियम 1.9 के साथ पठित विनियम 2-5 का एक स्पष्ट पाठ (निर्धारण के लिए नियम और शर्तें)

टैरिफ विनियम, 2001 यह स्पष्ट करता है कि निर्धारण का आधार परियोजना के पूरा होने पर किया गया ष्वास्तविक पूंजीगत व्ययष् होना चाहिए। लेकिन जहां वास्तविक व्यय अनुमोदित व्यय से अधिक है, वहां किए गए अतिरिक्त व्यय को उस सीमा तक ध्यान में रखा जा सकता है, जिस सीमा तक इसकी अनुमति दी गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या इस उद्देश्य के लिए नामित एक उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसी। इसका तात्पर्य यह है कि निर्धारण के लिए इनपुट गठित करने से पहले अतिरिक्त व्यय को

सीईए या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। टैरिफ का अतिरिक्त की जांच में मुख्य रूप से दो अलग-अलग पहलुओं की जांच शामिल होगी जैसेरू (ए) क्या अतिरिक्त व्यय वास्तव में किया गया है या उत्पादन कंपनी द्वारा दिखावा या अतिशयोक्ति है, और (बी) क्या व्यय ई प्रकृति में पूंजी थी। ऐसे मामलों में जहां इन दो प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं, सीईए या स्वतंत्र एजेंसी के पास ऐसे व्यय को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं होगा, न ही टैरिफ निर्धारण के लिए इसके विचार से कोई कठिनाई पेश होगी। यदि राशि कम है तो सीईए या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुमति दी गई है क्योंकि या तो उत्पादन कंपनी दावे के अनुसार व्यय करने के अपने दावे को साबित करने में विफल रही है या भले ही राशि खर्च की गई हो, उसका केवल एक हिस्सा पूंजीगत व्यय की प्रकृति में था, कम अकेले जी राशि टैरिफ निर्धारण के लिए एक इनपुट बनेगी। खपैरा 13 और 14, ख817-जी-एचय 818-ए-ई,

1.2 वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-निगम ने उचित रूप से स्वीकार किया था कि 4.521 करोड़ रुपये की राशि थी वास्तव में प्रतिवादी द्वारा इसे पूरा करने के लिए खर्च किया गया इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि दो पहलुओं में से पहला, जिसने सीईए या स्वतंत्र एजेंसी का ध्यान आकर्षित किया होगा, अपीलकर्ता की स्वीकृति से निष्कर्ष निकाला गया था, जो इस तथ्य के अलावा मामले में सबसे अच्छा सबूत था। सीईआरसी द्वारा निकाला गया आंकड़ा बी द्वारा किए गए स्वीकार्य व्यय की सीमा की

निष्पक्ष और विवेकपूर्ण जांच पर आधारित था। खपैरा 14-15, ख्818-एचय 819-ए, ई-एफ,

1.3 जहां तक दूसरे पहलू का संबंध है। चाहे व्यय प्रकृति में पूंजीगत या राजस्व था, जिसमें सीईए द्वारा किसी भी सी जांच या परीक्षा में शामिल हो सकता है, सीईआरसी ने व्यय को पूंजीगत प्रकृति में पाया है, जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है। उस निष्कर्ष के बारे में कुछ भी गलत नहीं है और न ही इस सवाल पर अपील स्वीकार की गई है कि व्यय पूंजीगत था या राजस्व। खपैरा 16, ख्819-जी-डी एचय 820-ए,

2.1 सीईए या स्वतंत्र एजेंसी को विनियम 2.5 के तहत एक संदर्भ की अनुपस्थिति बहुत कम या नहीं होगी मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मतभेद। ऐसा इसलिए है, क्योंकि प्रतिवादी-एनटीपीसी ने 6.101 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का दावा किया था, लेकिन वास्तव में टैरिफ के निर्धारण के लिए विचार की गई राशि केवल 4.521 करोड़ रुपये थी। सीईआरसी ने विवेकपूर्ण जांच के आधार पर अतिरिक्त राशि के एक बड़े हिस्से को अस्वीकार कर दिया था यह प्रतिवादी-एनटीपीसी द्वारा दावा किया गया था। व्यय की प्रकृति से संबंधित किसी भी प्रश्न के अभाव में, सीईए के संदर्भ के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता के लिए न्याय में कोई बाधा उत्पन्न हुई है या सीईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण को खराब कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही मामले के तथ्यों में

सीईए का संदर्भ दिया जाना आवश्यक हो, न्याय की किसी भी विफलता या पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति इस न्यायालय के लिए सीईआरसी द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करना अनावश्यक बना देगी और अपीलीय न्यायाधिकरण. खपैरा 14 और 16, ख818-एफ-जीय 819-ए-सी,

2.2 जहां तक इस सवाल का संबंध है कि विनियम 2.5 के तहत सीईए का संदर्भ आवश्यक था या नहीं, अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए प्रार्थना प्रतिवादी-निगम द्वारा की गई थी और विद्युत अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद सीईआरसी द्वारा इस पर विचार किया गया था। पहले के अधिनियमों को निरस्त करना। नए कानून में उत्पादन कंपनियों के लिए योजनाओं की मंजूरी या ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय के मामले में सीईए के लिए कोई भूमिका निर्धारित नहीं की गई है। पूरी कवायद टैरिफ के नियमन को छूने वाली है केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादक कंपनियां, जैसे प्रतिवादी को केंद्रीय आयोग को सौंपा गया था। के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की भूमिका। 2003 अधिनियम की धारा 7, के तहत गिनाए गए मामलों तक ही सीमित थी। अधिनियम की धारा 73 का अनुमोदन उत्पादक कंपनियों के लिए योजना या ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय या अतिरिक्त व्यय का पूंजीकरण ऐसा कोई कार्य नहीं है। इसलिए, सीईआरसी का मानना सही था कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं थी किसी परियोजना पर किए गए अतिरिक्त व्यय के पूंजीकरण के प्रयोजनों के

लिए अनुमोदन के मामले में। सीईए द्वारा इस तरह की मंजूरी प्रदान करने वाले सीईआरसी द्वारा बनाए गए नियमों के विनियमन 2.5 के जारी रहने के बावजूद ऐसा हुआ। खपैरा 17 और 22) ख820-सीय 824-ए-ई,

2.3 अधिनियम के अधिनियमन के साथ कानूनी ढांचे में आए दूरगामी परिवर्तनों ने विनियमन 2.5 को निरर्थक बना दिया, जहां तक कि इसमें अतिरिक्त पूंजीकरण के अनुमोदन के लिए सीईए या एक स्वतंत्र एजेंसी के संदर्भ की परिकल्पना की गई थी। ए पर जोर, कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव के बावजूद इस तरह की मंजूरी के लिए सीईए का संदर्भ अनावश्यक और साथ ही नए कानून की भावना के विपरीत होगा, जिसने सीईए की भूमिका को धारा 73 में निर्दिष्ट की गई कम कर दिया है। कार्यवाही करना। सीईआरसी और ट्रिब्यूनल का मानना था कि सीईए का संदर्भ उचित था।

संकेत नहीं दिया गया और न ही ऐसे किसी संदर्भ की अनुपस्थिति ने 2003 अधिनियम लागू होने के बाद टैरिफ तय करने के सीईआरसी के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि एस. का प्रावधान। विद्युत अधिनियम, 2003 के 61 ने उसमें उल्लिखित अधिनियमों बी के तहत टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों को जारी रखा और अनुसूची में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि उस धारा के तहत ऐसी शर्तें निर्दिष्ट नहीं की गईं, जो भी पहले हो।

खपैरा 22, ख824- ई-एचय 825-ए-बी,

2. सीईआरसी ने ट्रिब्यूनल से पहले दिए गए आदेश में प्रतिवादी-निगम द्वारा दायर 2004 की याचिका संख्या 139 को अनुमति दी थी और फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- को पूरा करने के लिए अनुमोदित लागत से अधिक 4.521 करोड़ रुपये के पूंजीकरण की अनुमति दी थी। 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2004 की अवधि के लिए। ऐसा करते समय सीईआरसी ने अपने आदेश के पैरा 37 में प्रतिवादी नंबर 1 को टैरिफ के साथ देय उक्त राशि पर ऋण पर इक्विटी और ब्याज पर रिटर्न का हकदार माना था। अवधि 2004- 2009। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीईआरसी और अपीलिय न्यायाधिकरण दोनों ने अपीलकर्ता-निगम की ओर से आग्रह किए गए तर्क को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी-निगम द्वारा किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को टैरिफ निर्धारण के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता है। सीईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2001 के विनियमन 2.5 के तहत आवश्यक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (संक्षेप में प्सीईएण्) द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसलिए इस अपील में विचार के लिए प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या टैरिफ निर्धारण के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त व्यय के पूंजीकरण की अनुमति देते समय सीईआरसी और ट्रिब्यूनल ने उक्त विनियमों के विनियमन 2.5 की सही व्याख्या की है। यह प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में उठता है।

3. फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- को प्रतिवादी-नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने 13 फरवरी, 1992 को तत्कालीन यूपी राज्य बिजली बोर्ड से ले लिया था। केंद्र सरकार ने 925 करोड़ रुपये की अधिग्रहण लागत को मंजूरी दे दी थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 मई, 1993 को जारी एक संचार। 5 अगस्त, 1996 को एक बाद के पत्र द्वारा सीईए ने पर्यावरण अधिनियम आयन योजना के तहत आर एंड एम के लिए अतिरिक्त 2.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी, जिससे कुल अनुमोदित परियोजना लागत 927.85 करोड़ रुपये हो गई।

4. 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2004 की अवधि के लिए सीईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2001 26 मार्च, 2001 को अधिसूचित किए गए, जिसके अनुसार प्रतिवादी-निगम ने याचिका संख्या 41 दायर की। प्रश्नगत उत्पादन संयंत्र के संबंध में प्रासंगिक टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए 2001। 24 अक्टूबर, 2003 के एक आदेश द्वारा, सीईआरसी ने 1 अप्रैल, 2001 को 940.70 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत को ध्यान में रखते हुए टैरिफ को मंजूरी दे दी, लेकिन प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार नहीं किया क्योंकि बाद वाला केवल एक पर आधारित था। अनुमानित पूंजीगत व्यय और लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित नहीं था। प्रतिवादी- निगम ने 5 अक्टूबर, 2004 को सीईआरसी के समक्ष याचिका संख्या 139 ध्2004 दायर की, जिसमें उक्त अवधि के दौरान किए

गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए संबंधित टैरिफ अवधि के लिए उत्पादन संयंत्र के संबंध में संशोधित निर्धारित शुल्क की मंजूरी मांगी गई। 6.101 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था. 31 मार्च, 2005 के एक आदेश द्वारा, सीईआरसी ने पूंजीगत व्यय के लिए 4.521 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी देते हुए शेष को अस्वीकार करते हुए उक्त याचिका का निपटारा कर दिया।

5. सीईआरसी ने माना कि प्रतिवादी सीईआरसी विनियमों के विनियमन 1.10 के आलोक में प्रासंगिक अवधि के दौरान टैरिफ संशोधन का हकदार नहीं होगा, जो अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति पर रोक लगाता है, यदि ऐसा व्यय 20 प्रतिशत से कम होता है अनुमोदित परियोजना लागत. इसके आदेश के पैरा 37 में भी यह कहा गया कि प्रतिवादी 2004-2009 की अवधि के लिए अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पर 16 की दर से इक्विटी पर रिटर्न और ऋण पर ब्याज के रूप में राहत का हकदार था। सीईआरसी ने।

"37. चूंकि दिनांक 26.3.2001 की अधिसूचना में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय पर सेवा के लिए उचित रिटर्न से इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं है और हमारे द्वारा उचित पाया गया है, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता इक्विटी पर 16: की दर से रिटर्न अर्जित

करेगा। हमारे द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीकरण का इक्विटी भाग। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता संबंधित अवधि के दौरान लागू ऋण पर ब्याज का भी हकदार होगा। इक्विटी और ब्याज पर रिटर्न की गणना वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से हमारे द्वारा स्वीकृत 4.521 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजीकरण पर की जाएगी, जिस वित्तीय वर्ष के बाद 31.3.2004 तक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय संबंधित है। इस प्रकार निकाली गई इक्विटी पर रिटर्न और ऋण पर ब्याज की एकमुश्त राशि आयोग द्वारा अनुमोदित 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ के साथ उत्तरदाताओं द्वारा देय होगी। 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ को मंजूरी देते समय इस संबंध में याचिकाकर्ता की सटीक हकदारी पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

6. सीईआरसी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता-निगम ने 2006 की अपील संख्या 36 में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया। अपीलकर्ता ने 4.521 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और बिजली को मंजूरी देने के लिए सीईआरसी के अधिकार पर सवाल उठाया। पैरा 37 सुप्रा में निर्दिष्ट प्रकृति में राहत देने के लिए। निगम की ओर से यह तर्क दिया गया कि

सीईआरसी विनियमों के विनियमन 2.5 के तहत आवश्यक सीईए द्वारा व्यय की मंजूरी के अभाव में, सीईआरसी के पास यह मानने का कोई अधिकार नहीं था कि प्रतिवादी-एनटीपीसी अतिरिक्त पूंजीकरण का हकदार था। बिजली के लिए अपीलिय न्यायाधिकरण ने, हालांकि, उस विवाद को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सीईआरसी की 4.521 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजीकरण की मंजूरी में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और प्रतिवादी-निगम ने रखा था सीईआरसी के समक्ष अपने दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। ट्रिब्यूनल ने घोषणा की कि सीईआरसी को बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43-ए (2) को हटाने के बाद विवेकपूर्ण जांच करने और अतिरिक्त पूंजीकरण को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था, जिसके कारण सीईए की ऐसे मामलों में कोई भूमिका नहीं रही। . ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि परियोजना को मूल रूप से 5 अगस्त, 1986 को सीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था और 1992 में प्रतिवादी-एनटीपीसी द्वारा अधूरा रहते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया गया था। अधिग्रहण के बाद प्रतिवादी एनटीपीसी द्वारा अधूरी वस्तुओं को पूरा किया

गया था। जिसके लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश की आवश्यकता थी। इसलिए, ट्रिब्यूनल का विचार था कि अतिरिक्त पूंजी परियोजना की अनुमोदित लागत के भीतर थी जो निहित होने की तारीख तक अप्रयुक्त रह गई थी। हालाँकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि इक्विटी पर रिटर्न और ऋण पर ब्याज के संबंध में राहत अगली टैरिफ अवधि तक नहीं दी जा सकती है। नतीजतन, ट्रिब्यूनल ने सीईआरसी के आदेश के पैरा 37 को हटाने का निर्देश दिया, जिससे सीईआरसी को अगली अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण करते समय उक्त राहत को ध्यान में रखने की छूट मिल गई। वर्तमान अपील सीईआरसी और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की सत्यता पर सवाल उठाती है।

7. जब यह अपील 29 सितंबर, 2006 को प्रवेश के लिए आई, तो इस न्यायालय ने इसे केवल निम्नलिखित दो प्रश्नों की जांच करने के लिए स्वीकार किया।

सीईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2001 के विनियम 2.5 का वास्तविक दायरा और दायरा क्या है?

द. क्या सीईआरसी अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति दे सकता था जिसे संबंधित प्राधिकरण यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था?

8. अपीलकर्ता की ओर से अपील करते हुए श्री प्रदीप मिश्रा ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि सीईआरसी और अपीलीय न्यायाधिकरण भी संबंधित विनियमों के विनियम 2.5 की सही व्याख्या करने में विफल रहे हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विनियमों का विनियम 2.5 इतना स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की गोलमोल बातें स्वीकार नहीं की जा सकतीं। श्री मिश्रा ने तर्क दिया कि विनियमन को स्पष्ट रूप से पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि परियोजना के पूरा होने पर किए गए किसी भी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को टैरिफ निर्धारण के लिए तभी ध्यान में रखा जा सकता है जब सीईए या उपयुक्त द्वारा ऐसी अतिरिक्त अनुमति दी गई हो। उक्त विनियमों के तहत गठित स्वतंत्र एजेंसी। जब तक अनुमोदित व्यय से अधिक किए गए पूंजीगत व्यय को सीईए या सीईआरसी द्वारा नामित स्वतंत्र एजेंसी की मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक वह, विद्वान वकील के अनुसार, टैरिफ तय करने के लिए एक वैध इनपुट नहीं बन सकता है। इस मामले में सीईए या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ऐसी

कोई मंजूरी नहीं मांगी गई या दी गई, सीईआरसी टैरिफ तय करने के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को ध्यान में नहीं रख सका। यह भी तर्क दिया गया कि सीईआरसी और अपीलीय न्यायाधिकरण ने बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43 ए(2) को हटाने में गलती की है, जिससे विनियम 2.5 के संदर्भ में सीईए का संदर्भ अनावश्यक हो गया है। . धारा 43 ए(2) को हटाने के बावजूद, सीईए ने अधिनियम की धारा 28 से 32 के संदर्भ में शक्तियों का प्रयोग जारी रखा। इसलिए, अतिरिक्त लागत के लिए सीईए से अनुमोदन की वैधानिक आवश्यकता को कानून की किताब से धारा 43 ए(2) को हटाने के कारण अधिशेष प्रदान नहीं किया गया था।

9. प्रतिवादी की ओर से श्री रामचन्द्रन द्वारा यह तर्क दिया गया कि सीईआरसी और साथ ही न्यायाधिकरण परियोजना के पूरा होने पर किए गए अतिरिक्त व्यय पर विचार करने में पूरी तरह से उचित थे, न केवल इसलिए कि इस तरह के व्यय पर कोई विवाद नहीं था वास्तव में खर्च किया गया था, बल्कि इसलिए भी कि उक्त व्यय प्रकृति में पूंजीगत पाया गया था। इसलिए, सीईए या स्वतंत्र एजेंसी से अनुमोदन का प्रश्न मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अकादमिक हो गया था।

10. आगे यह तर्क दिया गया कि चूँकि अपीलकर्ता ने स्वयं किए गए व्यय को स्वीकार किया है और व्यय की प्रकृति पूंजीगत पाई गई है, सीईए या स्वतंत्र एजेंसी ऐसा नहीं कर सकती थी, भले ही कोई संदर्भ दिया गया हो, उसी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यह भी तर्क दिया गया कि कानून की किताब से बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43 ए(2) को हटाने से एक महत्वपूर्ण अंतर आया और सीईआरसी और ट्रिब्यूनल ने सही ढंग से माना था कि सीईए या स्वतंत्र एजेंसी का संदर्भ दिया गया था । उस हिसाब से अनावश्यक

11. विनियमों का विनियम 2.5 इस प्रकार है।

“2.5 पूंजीगत व्यय

परियोजना के पूंजीगत व्यय को प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी में निर्धारित अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार या किसी उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुमोदित, जैसा भी मामला हो, के अनुसार वित्तपोषित किया जाएगा। परियोजना लागत में पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जों की उचित मात्रा शामिल होगी।

परियोजना के पूरा होने पर किया गया वास्तविक पूंजीगत व्यय टैरिफ निर्धारण का आधार बनेगा। जहां वास्तविक व्यय अनुमोदित परियोजना लागत से अधिक है, वहां प्राधिकरण या उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुमत अतिरिक्त व्यय को टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से माना जाएगा।

बशर्ते कि ऐसा अतिरिक्त व्यय उत्पादन कंपनी या उसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार नहीं है।

बशर्ते कि जहां उत्पादन कंपनी और लाभार्थी के बीच किया गया बिजली खरीद समझौता पूंजीगत व्यय पर एक सीमा प्रदान करता है, पूंजीगत व्यय टैरिफ की गणना के लिए ऐसी सीमा से अधिक नहीं होगा।

12. उपरोक्त विनियम में संदर्भित शब्द श्वतंत्र एजेंसीष् को विनियम 1.9 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

1.9 श्वतंत्र एजेंसीष् का अर्थ आयोग द्वारा एक अलग अधिसूचना द्वारा अनुमोदित एजेंसी है।

13. उपरोक्त को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि निर्धारण का आधार परियोजना के पूरा होने पर किया गया वास्तविक पूंजीगत व्ययष् होना चाहिए। लेकिन जहां वास्तविक व्यय अनुमोदित व्यय से अधिक है, वहां की गई अतिरिक्त राशि को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या इस उद्देश्य के लिए नामित एक उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुमति की सीमा तक ध्यान में रखा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि अतिरिक्त व्यय को टैरिफ के निर्धारण के लिए इनपुट बनाने से पहले सीईए या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अतिरिक्त की जांच में मुख्य रूप से दो अलग-अलग पहलुओं की जांच शामिल होगी।

(ए) क्या अतिरिक्त व्यय वास्तव में किया गया है या उत्पादन कंपनी

द्वारा दिखावा या अतिशयोक्ति है और

(बी) क्या व्यय प्रकृति में पूंजीगत था।

14. ऐसे मामलों में जहां इन दो प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं, सीईए या स्वतंत्र एजेंसी के पास ऐसे व्यय को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं होगा, न ही टैरिफ निर्धारण के लिए इसके विचार से कोई कठिनाई होगी। यदि सीईए या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कम राशि की अनुमति दी जाती है, या तो क्योंकि उत्पादन कंपनी दावे के अनुसार व्यय करने के अपने दावे को साबित करने में विफल रहती है या भले ही राशि खर्च हो गई हो, उसका केवल एक हिस्सा प्रकृति में था। पूंजीगत व्यय, कम राशि ही टैरिफ निर्धारण के लिए इनपुट बनेगी। उस हद तक, कोई कठिनाई नहीं है और न ही अपीलकर्ता के वकील श्री मिश्रा किसी अन्य आयाम का सुझाव देने में सक्षम थे, जिस पर सीईए या स्वतंत्र एजेंसी अतिरिक्त व्यय की अनुमति देने या अस्वीकार करने के प्रश्न की जांच करते समय विचार करने की हकदार होगी। उत्पादन इकाई. यदि ऐसा है, तो सीईए या स्वतंत्र एजेंसी को विनियमन 2.5 (सुप्रा) के तहत एक संदर्भ की अनुपस्थिति से मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत कम या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हालांकि प्रतिवादी-निगम ने 6.101 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का दावा किया था, लेकिन टैरिफ के निर्धारण के लिए वास्तव में विचार की गई राशि केवल 4.521 करोड़ रुपये थी।

सीईआरसी ने विवेकपूर्ण जांच के आधार पर प्रतिवादी-निगम द्वारा दावा किए गए अतिरिक्त हिस्से के एक बड़े हिस्से को अस्वीकार कर दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलकर्ता-निगम ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया था कि परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिवादी द्वारा वास्तव में 4.521 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। यह विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निम्नलिखित अवलोकन से स्पष्ट है, जहां अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री मिश्रा ने अनुमोदित परियोजना लागत से अधिक खर्च की सीमा के बारे में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील प्रदीप मिश्रा ने विनियमन 1.10 पर भरोसा करते हुए कहा कि यदि पूंजीगत व्यय परियोजना की अनुमोदित लागत के 20% से कम है तो कोई टैरिफ संशोधन नहीं होगा, उन्होंने तर्क दिया कि कोई टैरिफ संशोधन नहीं हो सकता है। अपीलकर्ता को चुनौती के तहत विवादित आदेश के पैरा 37 में निर्देशित 16: आरओई के साथ-साथ ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। श्री प्रदीप मिश्रा ने यह भी तर्क दिया कि पांच प्रमुखों के तहत इस अतिरिक्त व्यय का दावा विवादित नहीं है, लेकिन वे केवल रखरखाव व्यय हैं। विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि सीईए द्वारा व्यय की मंजूरी के अभाव में और इस तरह की मंजूरी का कोई सबूत नहीं होने पर, सीईआरसी के पास यह

मानने का कोई अधिकार नहीं है कि एनटीपीसी ने अतिरिक्त पूंजीगत व्यय किया है और अतिरिक्त पूंजीकरण का हकदार है।

15. उपरोक्त से, हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि दो पहलुओं में से पहला, जिसने सीईए या स्वतंत्र एजेंसी का ध्यान खींचा होगा, अपीलकर्ता की स्वीकृति से निष्कर्ष निकाला गया था, जो इस मामले में सबसे अच्छा सबूत था। इस तथ्य के अलावा कि आयोग द्वारा निकाला गया आंकड़ा कथित स्वीकार्य व्यय की सीमा की निष्पक्ष और विवेकपूर्ण जांच पर आधारित था।

16. यह हमें दूसरे पहलू पर छोड़ता है, जिसमें सीईए द्वारा कोई भी जांच या परीक्षा शामिल हो सकती है। क्या व्यय प्रकृति में पूंजीगत या राजस्व था। सीईआरसी ने व्यय को पूंजीगत प्रकृति का पाया है, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायाधिकरण ने की है। हमारी राय में उस निष्कर्ष के बारे में कुछ भी गलत नहीं है और न ही इस अपील को इस सवाल पर स्वीकार किया गया है कि व्यय पूंजीगत था या राजस्व। व्यय की प्रकृति से संबंधित किसी भी प्रश्न के अभाव में, हमें यह समझना मुश्किल लगता है कि कैसे सीईए के संदर्भ की अनुपस्थिति ने अपीलकर्ता के लिए न्याय में बाधा उत्पन्न की है या सीईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण को प्रभावित किया है। इससे यह पता चलता है कि भले ही मामले के तथ्यों में सीईए का संदर्भ दिया गया हो, न्याय की किसी भी विफलता या पूर्वाग्रह की

अनुपस्थिति हमारे लिए सीईआरसी और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करना अनावश्यक बना देगी।

17. चूंकि विनियम 2.5 के तहत सीईए का संदर्भ आवश्यक है या नहीं, इस प्रश्न पर हमारे सामने कुछ विस्तार से बहस की गई है, इसलिए हम अलग होने से पहले इस पर विचार कर सकते हैं। जिस पृष्ठभूमि में प्रश्न उठता है उसका संदर्भ आवश्यक हो जाता है और इसे निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है।

18. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम , 1948 अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन कंपनियों द्वारा बिजली के उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित है। अध्याय ट में उक्त अधिनियम की धारा 28 से 58 शामिल हैं, जो उत्पादन कंपनियों द्वारा योजनाओं की तैयारी और इन उत्पादन कंपनियों द्वारा खर्च की जाने वाली पूंजीगत लागत सहित ऐसी योजनाओं के लिए सीईए की सहमति से संबंधित है। अधिनियम की धारा 43 ए उत्पादन कंपनियों द्वारा बिजली की बिक्री से संबंधित है और सीईए द्वारा निर्धारित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले मानदंड और पैरामीटर प्रदान करती है। चूंकि बार में अधिकांश बहस उक्त प्रावधान और उसकी उप-धारा (2) को हटाने के प्रभाव के आसपास थी, इसलिए इस स्तर पर इसे पुनरु प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।

43 ए. उत्पादन कंपनी द्वारा बिजली की बिक्री के लिए नियम, शर्तें

और टैरिफ- (1) एक उत्पादन कंपनी अपने द्वारा उत्पादित बिजली की बिक्री के लिए अनुबंध कर सकती है-

(ए) उस राज्य या किसी भी राज्य के लिए गठित बोर्ड के साथ जिसमें कंपनी के स्वामित्व या संचालित उत्पादन स्टेशन स्थित है।

(बी) किसी अन्य राज्य के लिए गठित बोर्ड के साथ जिसमें वह धारा 15 ए की उपधारा (3) के अनुसरण में अपनी गतिविधियां चला रहा है और (सी) सक्षम सरकार या सरकारों की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के साथ।

(2) किसी उत्पादन कंपनी द्वारा बोर्ड को बिजली की बिक्री के लिए टैरिफ संचालन और प्लांट लोड फैक्टर के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार और मूल्यह्रास और उचित दरों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। रिटर्न और ऐसे अन्य कारक, जो समय $\leq$  पर, केंद्र सरकार द्वारा, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

बशर्ते कि ऐसी बिक्री के लिए नियम, शर्तें और टैरिफ, पूरी तरह या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एक उत्पादन कंपनी के संबंध में, ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वामित्व वाली एक उत्पादन कंपनी के संबंध में। एक या अधिक राज्य सरकारें ऐसी होंगी जिन्हें समय पर

संबंधित सरकार या सरकारों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

19. वर्ष 1998 में, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 आया, जिसने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद इसे केंद्रीय आयोग के रूप में जाना जाएगा) की स्थापना की। केंद्रीय आयोग पर अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी-निगम के स्वामित्व और नियंत्रण वाली केंद्रीय इकाइयों के टैरिफ निर्धारित करने का कार्य भी सौंपा गया था। गौरतलब है कि इस अधिनियम की धारा 51 केंद्र सरकार को केंद्र सरकार द्वारा तय की गई तारीख से धारा 43 ए की उप-धारा (2) को हटाने का अधिकार देती है। केंद्र सरकार ने उस शक्ति का प्रयोग किया और 11 सितंबर, 2000 की एक अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय आयोग द्वारा विनियमित उत्पादन कंपनियों के संबंध में विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 43 ए (2) को 24 जुलाई, 1998 से पूर्वव्यापी रूप से हटाने का निर्देश दिया। इसके तुरंत बाद केंद्रीय आयोग ने प्रतिवादी-एनटीपीसी के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशनों पर लागू परिचालन मानदंडों के संबंध में एक आदेश जारी किया। आदेश निम्नलिखित आशय का था।

पूँजीगत लागत के संबंध में, स्थिति कुछ कठिन है। जैसा कि आज पीएसयू के संबंध में कानून है, परियोजना शुरू होने से पहले सरकार से आवश्यक मंजूरी और सीईए से मंजूरी लेनी होगी, कुछ सीमाओं के अधीन जिसके लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। परियोजना के पूरा होने

के बाद, यदि वास्तविक व्यय या परियोजना का दायरा निश्चित सीमा से अधिक भिन्न होता है, तो उन्हें आगे अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है। अनुमोदन की यह प्रक्रिया समय लेने वाली है, जिसके परिणामस्वरूप अनंतिम मंजूरी मिलती है, जिससे बाद में पूर्वव्यापी संशोधन अपरिहार्य हो जाता है। कानून में बदलाव पर विचार किया जा रहा है जिससे परियोजनाओं के लिए सीईए से मंजूरी खत्म की जा सकती है। हालाँकि, जैसा कि आज कानून है, स्वीकृतियाँ अपरिहार्य हैं। फिर भी टैरिफ में स्थिरता लाना संभव है यदि एक समय-सारणी तैयार की जाती है जिसके द्वारा उपयोगिताएँ किसी परियोजना के पूरा होने से कम से कम 6 महीने पहले सीईए का डेटा जमा कर सकती हैं, ताकि टैरिफ से पहले पर्याप्त समय में मंजूरी प्राप्त की जा सके। स्टेशनधलाइनों के लिए निर्धारित है। यह आशा की जाती है कि उसके बाद खातों को वास्तविक रूप से अंतिम रूप देने में कोई भी बदलाव मामूली प्रकृति का होना चाहिए जिसे उपयोगिता द्वारा अवशोषित किया जा सकता है और यदि पर्याप्त हो, तो अगले संशोधन में इसका ध्यान रखा जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नई परियोजनाओं के संबंध में टैरिफ के निर्धारण की मांग करने वाली सभी उपयोगिताओं को उचित स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत के साथ पूरा होने की अनुमानित तिथि से कम से कम 3 महीने पहले अपना आवेदन हमें जमा करना होगा। कंपनी के निदेशक मंडल के अलावा। यह परियोजना लागत टैरिफ निर्धारण का आधार बनेगी,

और अगली टैरिफ अवधि तक किसी भी संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह निर्देश मानता है कि सीईए इसके बाद, अतीत के विपरीत, दायरे में बदलाव के अलावा अन्य कारकों पर भी पूंजी लागत में वृद्धि को स्पष्ट कर सकता है। हम सीईए से आग्रह करेंगे कि डाउन स्ट्रीम में टैरिफ झटके से बचने के हित में, परियोजना के दायरे में बदलाव के अलावा अतिरिक्त पूंजीगत लागत के अनुमोदन पर भी विचार करें और उससे निपटें। यदि परियोजनाओं को सीईए मंजूरी से छूट दी गई है, तो आयोग किसी भी मान्यता प्राप्त एजेंसी से उचित परिश्रम मंजूरी स्वीकार करने पर विचार करेगा।

20. उपरोक्त के बाद केंद्रीय आयोग ने टैरिफ विनियम 2001 तैयार किया, जिसमें पहले निकाले गए विनियम 2.5 पूंजीगत व्यय से संबंधित था। यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में था कि केंद्रीय आयोग ने 30 अक्टूबर, 2002 के एक आदेश द्वारा 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2001 की अवधि के लिए प्रश्नगत उत्पादन इकाई के लिए टैरिफ निर्धारित किया था। उस आदेश के तुरंत बाद संसद ने विद्युत अधिनियम लागू किया , 2003 जो 10 जून, 2003 से लागू हुआ। नए कानून ने बिजली (आपूर्ति) अधिनियम , 1948 को निरस्त कर दिया। इस निरसन का प्रभाव यह हुआ कि 1948 अधिनियम के सभी प्रावधान, जिनमें योजना की सीईए द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता भी शामिल है। उत्पादन स्टेशन और पूंजीगत लागत, जिसके लिए निरस्त अधिनियम में प्रावधान किया गया था, नए अधिनियम के

तहत अनुपयुक्त और अप्रासंगिक हो गए। नए कानून का उद्देश्य बिजली उत्पादन को नियंत्रणमुक्त करना है। थर्मल पावर स्टेशनों के मामले में पूंजीगत लागत को सीईए द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि पहले के कानून के तहत स्थिति थी।

21. 2004 की याचिका संख्या 139 में, प्रतिवादी-निगम ने 2001-2004 की अवधि के लिए प्रासंगिक परियोजना पर व्यय के अतिरिक्त पूंजीकरण की मांग की। केंद्रीय आयोग ने अतिरिक्त पूंजीकरण निर्धारित किया और प्रतिवादी को इसकी अनुमति दी, जिसे ट्रिब्यूनल ने संशोधन के साथ बरकरार रखा था, जिसे हमने इस आदेश की शुरुआत में विज्ञापित किया है।

22. इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए प्रार्थना प्रतिवादी-निगम द्वारा की गई थी और बिजली अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद, पहले के अधिनियमों को निरस्त करते हुए, सीईआरसी द्वारा इस पर विचार किया गया था। नए कानून में उत्पादन कंपनियों के लिए योजनाओं की मंजूरी या ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय के मामले में सीईए के लिए कोई भूमिका निर्धारित नहीं की गई है। प्रतिवादी की तरह केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के विनियमन से संबंधित पूरी प्रक्रिया केंद्रीय आयोग को सौंपी गई थी। 2003 अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की भूमिका , अधिनियम की धारा 73 के तहत गिनाए गए मामलों, उत्पादन कंपनियों के लिए योजना की मंजूरी या ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय या अतिरिक्त के पूंजीकरण तक सीमित थी। व्यय ऐसा एक कार्य नहीं है। इसलिए, सीईआरसी सही था जब उसने कहा कि किसी परियोजना पर किए गए अतिरिक्त व्यय के पूंजीकरण के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन के मामले में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं थी। सीईए द्वारा इस तरह की मंजूरी प्रदान करने वाले सीईआरसी द्वारा बनाए गए नियमों के विनियमन 2.5 के जारी रहने के बावजूद ऐसा हुआ। 2003 अधिनियम के अधिनियमन के साथ कानूनी ढांचे में आए दूरगामी परिवर्तनों ने विनियमन 2.5 को निरर्थक बना दिया, जहां तक कि इसमें अतिरिक्त पूंजीकरण के अनुमोदन के लिए सीईए या एक स्वतंत्र एजेंसी के संदर्भ की परिकल्पना की गई थी। कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव के बावजूद, इस तरह की मंजूरी के लिए सीईए को संदर्भित करने पर जोर देना अनावश्यक होने के साथ-साथ नए कानून की भावना के विपरीत भी होगा, जिसने सीईए की भूमिका को धारा 73 में निर्दिष्ट तक कम कर दिया है । कार्यवाही करना। सीईआरसी और ट्रिब्यूनल का यह मानना उचित था कि सीईए के संदर्भ का संकेत नहीं दिया गया था और न ही इस तरह के संदर्भ की अनुपस्थिति ने सीईआरसी को 2003 अधिनियम लागू होने के बाद टैरिफ तय करने के अपने अधिकार से वंचित कर दिया था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के प्रावधानों ने उसमें उल्लिखित अधिनियमों के तहत टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों को जारी रखा और एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक ऐसी शर्तें निर्दिष्ट नहीं की गईं, तब तक अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया। वह अनुभाग जो भी पहले था। परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और इसे 50,000/- रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

2007 की सिविल अपील संख्या 5361-5362

23. इन अपीलों में अपीलकर्ता द्वारा लगाया गया आदेश 2006 की अपील संख्या 36 में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश पर भरोसा करता है, जिसके खिलाफ हमने इस फैसले के पूर्वगामी भाग में अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है। तर्क की समानता के आधार पर इन अपीलों को भी खारिज किया जाना तय है और तदनुसार, 50,000/- रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती संजू चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

